न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–3, जयपुर महानगर–द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **आँचल अग्रवाल, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : **45 / 2026**

सी.आई.एस. नम्बर : **1393 / 2026**

1. गोपाल यादव पुत्र स्व. श्री हनुमान प्रसाद यादव, उम्र 60 साल, निवासी शंकर भगवान के मंदिर के पास, पचेरियों की ढाणी, गांव आस्टी कला, थाना गोविन्दगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण व मकान नम्बर 265, गंगाराम की ढाणी, हीरानगर, थाना चित्रकूट, जयपुर, राजस्थान।

––प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 942 / 2016 पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर पश्चिम अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री बी.एम. गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

<u>आदेश</u> **दिनांक : 04.06.2026**

1. प्रार्थी / अभियुक्त **गोपाल यादव** की ओर से विद्यमान जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष पेश किया, जो वास्ते सुनवाई एवं विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित किया गया। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई तथा बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रूपेन्द्र किशोर ने न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्तगण सीताराम, गोपाल, राजाराम, नरेन्द्र

राठौड, भूपेन्द्र प्रजापत के विरुद्ध एक परिवाद धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. में इस आशय का पेश किया कि अभियुक्तगणों ने एक आपराधिक गिरोह बना रखा है जो लोगों के साथ जालसाजी से धोखाधड़ी व जालसाजी से फर्जी दस्तावेजात के आधार पर फ्लैट, जमीन विक्रय के नाम से धन एठने का कारोबार करते हैं। अभियुक्त सीताराम व गोपाल के स्वामित्व का ग्राम हीरापुरा में स्थित कुल क्षेत्रफल 380 वर्गगज है, जिसपर अभियुक्तगण फ्लैट निर्माण करना चाहते हैं, परिवादी ने अभियुक्तगण की बातों पर विश्वास कर उक्त वर्णित आवासीय इमारत के ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित होने वाले फ्लैट नम्बर जी 202, ब्लॉक बी, कुल सूपर बिल्टअप एरिया 1050 वर्गफीट को क्रय करने की मंशा जाहिर की जिसपर अभियुक्त के साथ ही सहअभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त निर्मित होने वाले फ्लेट को 35,50,000 / – रूपये में परिवादी को विक्रय करना तय करते हुए परिवादी से 7,00,000 / – रूपये दिनांक 24.05.2014 को नकद प्राप्त कर एक इकरारनामा निष्पादित किया जिसमें सहअभियुक्त नरेन्द्र राठौड व भूपेन्द्र प्रजापत द्वारा बतौर गवाह हस्ताक्षर किये तथा सहअभियुक्त नरेन्द्र राठौड व भूपेन्द्र प्रजापत ने भी आश्वासन दिया कि उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है। जिसपर परिवादी ने अभियुक्तगण को 17,00,000 / – रूपये अदा किये। फ्लैट निर्मित करने के बाद परिवादी माह जुलाई 2016 में गया तो देखा कि नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है तथा निर्मित फ्लैटों में ग्राउण्ड फलोर पर बी ब्लॉक में 202 नम्बर का कोई फलेट मौजूद नहीं है वहां निर्मित फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर फ्लैट नम्बर जी. बी. 202 मौजूद नहीं है, आदि।

3. उक्त परिवाद अनुसंधान हेतु पुलिस थाना वैशालीनगर भेजा गया, जिसपर पुलिस थाना वैशालीनगर में एफआईआर संख्या 942 / 2016 धारा **420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता** में दर्ज किया जाकर दौराने अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध **420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता** में अपराध प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार किया गया। दौराने विचारण प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा सक्षम विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर उससे व्यथित होकर प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा हस्तगत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। परिवादी को जो फ्लैट अभियुक्त राजाराम ने बेचा था उसी फ्लैट को राजाराम के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। इस स्थिति में अपराध की रचना प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनती है। अभियुक्त 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी एवं उस पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक समग्र रूप से परिशीलन किया गया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

7. केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना वैशालीनगर में एफआईआर संख्या 942/2016 धारा **420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता** में दर्ज किया जाकर दौराने अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध **420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता** में अपराध प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए कूटरचित दस्तावेज के आधार पर स्वयं को सदोष लाभ व परिवादी को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से 35,50,000/–रूपये में भूखण्ड का विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर परिवादी से 17,00,000/–रूपये छल से प्राप्त करने का आरोप है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के मुकदमों में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है, जिनमें षड्यंत्र रचकर प्रोपर्टी के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों को बेची जाकर छल पूर्वक राशि प्राप्त की जाती है। ऐसे प्रकरण में अभियुक्तगण को जमानत लाभ दिये जाने पर आमजन के मन में असंतोष व न्यायिक कार्यवाही के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा

सकता।

8. लिहाजा प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता है।

आदेश

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी/आरोपी **गोपाल यादव पुत्र स्व. श्री हनुमान प्रसाद यादव** की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(आँचल अग्रवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3,
जयपुर महानगर–द्वितीय

10. आदेश दिनांक **04.06.2026** को हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(आँचल अग्रवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3,
जयपुर महानगर–द्वितीय